राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ, जोधपुर

अपील संख्या 665/2025

हनुमान गोदारा —अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर, राजस्थान।
2. संयुक्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, जयपुर राजस्थान।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुत करने की दिनांक : 24.04.2025
आदेश की दिनांक : 24.04.2025

उपस्थित —
अपीलार्थी की ओर से : श्री सी.पी. त्रिवेदी, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त परमार, राजकीय अधिवक्ता।

समक्ष :— चेतन राम देवडा, सदस्य
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा—4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी का निवेदन है कि अपीलार्थी की पदोन्नति व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) रसायन शास्त्र के पद पर आदेश दिनांक 13.12.2024 (अनुलग्नक—1) द्वारा की गई। प्रत्यर्थी विभाग के पदोन्नति आदेश दिनांक 13.12.2024 एवं विभागीय आदेश दिनांक 17.12.2024 की पालना में अपीलार्थी ने प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) रसायन शास्त्र के पद पद पदोन्नति पर यथास्थान पर कार्यग्रहण कर लिया। इसके पश्चात् प्रत्यर्थी विभाग द्वारा पदोन्नत कर्मचारियों को काउंसलिंग के माध्यम से पदस्थापन के लिए दिशा—निर्देश जारी कर काउंसलिंग कार्यक्रम जारी किया गया जिसमें उपलब्ध रिक्त पदों को Online portal पर दर्शित कर विकल्प चाहे गये अपीलार्थी द्वारा भी ऑनलाईन पोर्टल पर विकल्प प्रस्तुत किए (अनुलग्नक—2)। इसके पश्चात प्रत्यर्थी विभाग द्वारा प्रस्तुत विकल्पों के आधार पर पदस्थापन आदेश दिनांक 12.02.2025 जारी किया गया जिसमें अपीलार्थी का स्थानान्तरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, पोटलिया जिला बांसवाड़ा में किया गया। आलौच्य आदेश में अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 758 पर है (अनुलग्नक—3)। अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग से निवेदन किया कि उसके वर्तमान पदस्थापन विद्यालय में रिक्त पद है। अपीलार्थी ने विभाग को यह भी निवेदन किया कि पुराने दर्शित रिक्त पदों को नहीं दर्शाया गया है। जिलें में प्राध्यापक रसायन शास्त्र

के रिक्त पदों के बावजूद विभाग ने अपीलार्थी को 700 कि.मी. दूर पोटलिया जिला बांसवाड़ा में पदस्थापित किया गया है। अपीलार्थी के पिता लकवाग्रस्त है एवं माता वृद्धावस्था संबंधी बीमारियों से पीड़ित है(अनुनग्नक–5)। अपीलार्थी ने रिक्त पदों की सूची भी प्रस्तुत की है (अनुलग्नक–4)। अतः आलौच्य आदेश निरस्त कर अपीलार्थी को यथावत महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय बालसमंद, जोधपुर में पदस्थापित रखे जाने का अनुतोष चाहा है।

3. हम यह पाते है कि विभाग द्वारा सीधी भर्ती एवं पदोन्नत प्राध्यापक स्कूल शिक्षा को काउंसलिंग के माध्यम से पदस्थापन हेतु दिनांक 27.01.2025 को दिशा–निर्देश जारी किए एवं काउंसलिंग के माध्यम से रिक्त पद ऑनलाईन पोर्टल पर दर्शित कर विकल्प प्राप्त कर पदस्थापन की कार्यवाही की गई।

4. विभाग द्वारा दिनांक 27.01.2025 को जारी दिशा–निर्देश में स्पष्ट रूप से रिक्त पदों के चयन की प्रक्रिया के सम्बन्ध में निम्न निर्देश जारी किए गए :–

    1. काउंसलिंग के माध्यम से पदस्थापन हेतु स्पष्ट रूपसे रिक्त पदों के चयन की प्रक्रिया
        A. पदवार/विषयवार रिक्तियों की ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के रिक्त पदों की पृथक–पृथक सूची तैयार की जायेगी, इनमें पदवार/विषयवार रिक्तियों के निर्धारण हेतु विद्यालयों में (अध्यापक, लेवल–1 व लेवल–2/वरिष्ठ अध्यापक/प्राध्यापक) अधिकतम से कम रिक्तियों के प्रतिशत के क्रम में कुल आशार्थियों की संख्या के 150% तक रिक्त पदों की सूचियाँ पहले तैयार की जाऐंगी।
        B. उक्त सूचियों में से नामांकन के आधार पर कुल आशार्थियों की संख्या की 120 प्रतिशत रिक्तिया नामांकन के घटते क्रम में चिन्हित की जायेगी।
        C. पदवार/विषयवार कुल रिक्तियाँ 120% से अधिक होने पर प्रदर्शित की जाने वाली 120% रिक्तियाँ शहरी व ग्रामीण क्षेत्र की रिक्तियों के अनुपात में निर्धारित की जायेगी।
        D. कुल आशार्थियों की संख्या की तुलना में यदि उपलब्ध रिक्तियां 120 प्रतिशत है अथवा अधिक है, तो कुल आशार्थियों की अधिकतम 120 प्रतिशत रिक्तियों ही प्रदर्शित की जावे।
        E. कुल रिक्तियां आशार्थियों के सापेक्ष 120 प्रतिशत से कम है अथवा कुल रिक्तियां अभ्यार्थियों की संख्या के सापेक्ष समान है, तो समस्त विद्यालयों की रिक्तियां प्रदर्शित की जावे।
        F. शून्य नामांकन वाले विद्यालयों में पदस्थापन नहीं किया जावे।

5. हमने उभयपक्ष की अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

6. प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 12.04.2025 (अनुलग्नक–3) के विरूद्ध अनुतोष चाहा है। अपीलार्थी के पिता की गम्भीर स्वास्थ्य स्थिति के दृष्टिगत प्रकरण में हम न्यायहित में यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी दो सप्ताह में विभाग के सक्षम

प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में दो सप्ताह में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। प्रत्यर्थी विभाग अपीलार्थी की उक्त वर्णित स्थिति के दृष्टिगत नियमानुसार नियत समयावधि में अभ्यावेदन का निस्तारण होने तक अपीलार्थी के सम्बन्ध में आलोच्य आदेश दिनांक 12.04.2025 (अनुलग्नक–03) का क्रियान्वयन (Operation) स्थगित किया जाता है। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि अपीलार्थी को वहीं कार्यरत रखा जावे जहां आलोच्य आदेश जारी किए जाने से पूर्व कार्यरत था। साथ ही निर्धारित समयावधि में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा।

7. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(असलम मेहर)
सदस्य

(चेतन राम देवडा)
सदस्य